सं0 सं0 :– निग / सारा(पथ)–15–वि0का0–05–58/2019.....

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक :–.....

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखण्ड के पत्रांक–3319, दिनांक–07.11.2019 के द्वारा श्री रामाशीष राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), कार्य प्रमण्डल, गोड्डा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित है :–

आरोप सं0–01 :–

अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, ग्रा0वि0वि0(ग्रा0का0मा0), कार्य अंचल, दुमका द्वारा कार्य प्रमण्डल, गोड्डा अधीन राज्य संपोषित योजना अंतर्गत छोटी लोहबंधा से दरघट्टी तक पथ निर्माण कार्य की जाँच की गयी एवं समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निम्न त्रुटियाँ परिलक्षित हुई :–

i) चैनेज 1105 मीटर (B.T. Portion) में कुल चौड़ाई 3.80 मीटर एवं मोटाई 350mm पाया गया, जो विशिष्ट के अनुरूप नही यानी कम है।

ii) चैनेज 1111 मीटर (B.T. Portion) में बिटुमिनस भाग वाले क्रस्ट का कुल Thickness 360mm पाया गया, जो प्राक्कलन में निहित प्रावधान से कम है।

iii) चैनेज 1329 मीटर में पथ की चौड़ाई 3.60 मीटर पाया गया जो कम है। इसी चैनेज में L.H.S. में BUSG एवं Premixing Carpet का Thickness 70mm पाया गया, जो सही है तथा R.H.S. में पथ क्रस्ट का कुल Thickness 295mm पाया गया, जो प्राक्कलन में निहित प्रावधान के अनुरूप नहीं है।

iv) चैनेज 1978 मीटर (B.T. Portion) में पथ की चौड़ाई 3.80 मीटर तथा Thickness 250mm पाया गया, जो प्राक्कलन में निहित प्रावधान से कम है।

v) चैनेज 2772 मीटर (B.T. Portion) R.H.S. में पथ की चौड़ाई 3.80 मीटर एवं कुल मोटाई 353mm पाया गया, जिसमें GSB-133mm, WBM-Gr-II+III-150mm, BUSG एवं Premixing मिलाकर 70mm पाया गया।

vi) तकनीकी सलाहकार द्वारा चैनेज 200 मी0 पर पुराना पी0सी0सी0 के चौड़ीकरण भाग में G.S.B-130mm पाया गया है, जबकि 150mm होना चाहिए। साथ ही जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट प्रतिवेदित है कि पूरे बिटुमिनस पथांश में Premix Carpet क्षतिग्रस्त है, संतोषप्रद नहीं है, जिससे स्वतः परिलक्षित है कि श्री रामाशीष राम, सहायक अभियंता द्वारा प्राक्कलन / विशिष्टयों के अनुरूप नहीं कराकर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया तथा संवेदक को लाभ पहुँचाया गया।

आरोप सं0– 2 :–

श्री रामाशीष राम, सहायक अभियंता द्वारा कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं कर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया, जो पी0डब्ल्यू0डी0 कोड की कंडिका–32 में निहित प्रावधान का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस प्रकार श्री राम द्वारा कार्य प्रमण्डल, गोड्डा अंतर्गत राज्य संपोषित योजना के अधीन "छोटी लोहबंधा से दरघट्टी तक पथ निर्माण कार्य" में अनियमितता बरती गई, जो सरकारी

उक्त आरोपों के लिए संकल्प सं0–674(S), दि0–25.02.2021 द्वारा श्री राम के वि विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

तत्पश्चात् श्री राम के दिनांक–28.02.2021 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को संकल्प सं0–1354(S), दिनांक–08.04.2021 के द्वारा पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत परिवर्तित किया गया।

श्री विनोद कुमार, संचालन पदाधिकारी–सह–विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री राम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–198, दिनांक–22.10.2021 द्वारा समर्पित किया गया है।

श्री राम का बचाव बयान :–

i) चैनेज 1105 मीटर एवं चैनेज 1111 मीटर (B.T. Portion) के क्रस्ट के मोटाई में पायी गयी पथ में बालू लदे भारी वाहनों (हाईवा) के परिचालन के कारण पथ की उपरी सतह प्रीमिक्सींग क्षतिग्रस्त हो गयी थी, जिसकी मरम्मति संवेदक द्वारा करा दी गयी थी।

ii) चैनेज 1329 मीटर के R.H.S. में क्रस्ट के मोटाई में पायी गयी कमी पथ में बालू लदे भारी वाहनों (हाईवा) के Tri Junction पर रूकने तथा बालू से पानी का रिसाव होने के कारण उक्त स्थल पर प्रीमिक्सींग के साथ–साथ BUSG भी क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मति संवेदक द्वारा करा दी गयी।

iii) चैनेज 1978 मीटर (B.T. Portion) में L.H.S. पर Widening कार्य नहीं किया गया था। 250mm मोटाई पुराने पथ पर किए गए कार्य की है। Widening कार्य R.H.S पर किया गया है, जिस पर कुल मोटाई 370mm से अधिक है।

iv) चैनेज 2772 मीटर (B.T. Portion) (RHS) में क्रस्ट की मोटाई 353mm पथ में प्रिमिक्सिंग के बालू लदे भारी वाहनों(हाईवा) के परिचालन से क्षतिग्रस्त होने के कारण पाया गया, जिसकी मरम्मति संवेदक द्वारा करा दी गयी।

v) चैनेज 200mtr. पर पुराना PCC के चौड़ीकरण भाग में GSB-100mm ही करना था, जो जाँच के क्रम में GSB-130mm पाया गया। इस प्रकार यह 30mm अधिक है।

vi) आरोपगत पथ की जाँच संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0) झारखण्ड के पत्रांक–2993, दिनांक–18.09.2019 आलोक में राज्य गुण नियंत्रक, झारखण्ड (SQM) द्वारा दिनांक–23.09.2019 को की गयी एवं उनके द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में कार्य संतोषजनक प्रतिवेदित किया गया।

vii) आरोप सं0–2 के संबंध में श्री राम का कहना है कि लौहबंधा से दरघट्टी तक पथ निर्माण कार्य के दौरान भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने हेतु प्रयास किया गया था। उनके द्वारा पथ निर्माण कार्य का समुचित पर्यवेक्षण किया गया था ।

संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :–

आरोप सं0–1 :–

पुरे बिटुमिन पथांश में Premix corpet क्षतिग्रस्त है एवं संतोषप्रद नहीं है इसलिए आरोपी पदाधिकारी श्री राम द्वारा प्राक्कलन/विशिष्टयों के अनुरूप नहीं कराकर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया तथा संवेदक को लाभ पहुंचाया गया।

ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखण्ड के पत्रांक–1155, दिनांक–30.07.2020 के द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री राम के विरुद्ध आरोप पत्र गठन के पश्चात पथ की जाँच पुनः SQM से करायी गयी। इस अवधि में संवेदक द्वारा क्षतिग्रस्त पथ की मरम्मति करा दी गयी, जिस कारण SQM द्वारा जाँच में निर्माण कार्य को संतोषप्रद पाया गया।

अतएव आरोप सं0–1 प्रमाणित होता है।

आरोप सं0–2 :–

आरोपी पदाधिकारी श्री राम द्वारा आरोप सं0–2 के संबंध में बचाव बयान में ऐसा कोई तथ्य उल्लेखित नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो कि आरोपगत पथ पर्यवेक्षण की कमी के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। आरोप सं0–2 प्रमाणित होता है।

श्री राम के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम–43(बी0) के तहत उनके पेंशन से 20 प्रतिशत राशि की स्थायी कटौती के प्रस्तावित दण्ड के साथ पत्रांक–3160(S), दिनांक–29.08.22 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब पत्रांक–01(राँची), दिनांक–29.11.2022 द्वारा समर्पित किया गया है। श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में बचाव बयान में उल्लेखित तथ्यों का उल्लेख करते हुए निम्न अतिरिक्त तथ्यों का उल्लेख किया गया है :–

(1) संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखण्ड के पत्रांक–2993, दिनांक–18.09.2009 के आलोक में राज्य गुण नियंत्रक द्वारा कार्य प्रमण्डल, गोड्डा के अधीन राज्य संपोषित योजना अंतर्गत स्वीकृत छोटी लोहबंधा से दरघट्टी तक पथ निर्माण कार्य में अनियमितता की जाँच दिनांक–23.09.2019 को की गयी एवं समर्पित जाँच प्रतिवेदन में कार्य को संतोषजनक प्रतिवेदित किया गया है।

(2) पथ बनने के 15 महीने बाद Premixing का क्षतिग्रस्त होना Rural Road Specification के अनुसार Allowable Limit में आता है। पथ निर्माण पूर्ण होने के बाद प्रथम वर्ष में Bitumen Surface 0.5% तथा द्वितीय वर्ष में 10% क्षतिग्रस्त को Allow किया गया है।

(3) पथ का निर्माण विशिष्टियों के अनुकूल हुआ था तथा 15 महीने बाद Premixing का क्षतिग्रस्त होना सामान्य सी बात है।

(4) PWD Code की कंडिका–32 के अनुसार कार्य के संरक्षण हेतु सभी उपाय किए गए थे। पथ निर्माण के दौरान बालू घाट से आने वाले ट्रैफिक को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया तथा कम समय में कार्य को पूर्ण किया गया है।

(5) आरोप सं0–1 एवं 2 दोनों निराधार है।

श्री राम के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब पर उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–984, दिनांक–27.03.2025 द्वारा मंतव्य समर्पित किया गया है। मंतव्य में निम्न तथ्य अंकित किए गए हैं :–

(1) आरोप सं0–01 –

i) विषयांकित कार्य दिनांक–22.05.2018 को पूर्ण किया गया। अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार के द्वारा कार्य की जाँच दिनांक–13.07.2019 को की गयी। कार्य 5 Years DLP के अन्तर्गत था।

ii) तकनीकी सलाहकार के द्वारा 2.35 k.m. BT Portion में मात्र छः स्थलों पर आंशिक जाँच की गयी। किसी भी स्थल पर LHS, RHS एवं Centre पर Sample नहीं लिए गये, जिससे Average Thickness का पता चल सके। प्रत्येक 250mtr. पर LHS, RHS एवं Centre पर Thickness ली जानी चाहिए थी, ताकि Representative Samples के आधार पर Average Thickness ज्ञात की जा सके। 1105 M Ch- एवं 1111 M Ch- पर Sample लेना Total Thickness 3-50mm ठहराना जाँच पदाधिकारी के तकनीकी अल्प ज्ञान का द्योतक है।

iii) JSRRDA द्वारा नियुक्त SQM श्री योगेन्द्र सिंह के द्वारा Technical Secretary के द्वारा पूर्व में जाँच किये स्थलों पर बाद में जाँच की गयी एवं संतोषप्रद पाया गया है।

(10) 5-7148

iv) जाँच के दौरान पथ DLP में था, अर्थात् संवेदक द्वारा Continuous repair के Perio में था। Original **Ground** के **Difference** of Levels के कारण कुछ स्थलों पर Thickness of Crust निर्धारित Thickness से कम–अधिक होना लाजिमी है।

v) DLP में पथ के कुछ बिन्दुओं पर पाये जाने वाले Defects का Rectification भी संवेदक द्वारा कराया जाता है।

vi) श्री राम पर आरोप–1 प्रमाणित नहीं होता है।

(2) आरोप सं0–2 :–

चूँकि आरोप–1 प्रमाणित नहीं होता है, जिस पर आरोप–2 आधारित है तथा इन पर पूर्व में इस तरह का आरोप इनके वरीय पदाधिकारियों द्वारा पूर्व में विभाग को नहीं समर्पित किया गया है। आरोप सं0–2 भी प्रमाणित नहीं होता है।

समीक्षा :–

संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखण्ड के पत्रांक–3319, दिनांक–07.11.2019 द्वारा श्री राम के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर कार्रवाई हेतु इस विभाग को उपलब्ध कराया गया था, जिसकी जाँच अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), कार्य अंचल, दुमका द्वारा की गयी थी, जिसमें जाँच पदाधिकारी द्वारा पथ निर्माण कार्य में अनियमितता प्रतिवेदित की गयी है। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक–1828, दिनांक–26.04.2023 द्वारा इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड से माँगे गये मंतव्य के आलोक में उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–984, दिनांक–27.03.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री राम के विरूद्ध गठित आरोप सं0–1 एवं 2 प्रमाणित नहीं होता है, जिससे विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य से सहमत नही हुआ जा सकता है।

निर्णय :–

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री रामाशीष राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), कार्य प्रमण्डल, गोड्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध कार्य प्रमण्डल, गोड्डा अंतर्गत राज्य सम्पोषित योजना अधीन "छोटी लोहबंधा से दरघट्टी तक पथ निर्माण कार्य" में प्राक्कलन/विशिष्टयों के अनुरूप कार्य नही कर सरकारी राशि का दुरूपयोग करने, बिना पर्यवेक्षण का कार्य करने, संवेदक को लाभ पहुँचाने तथा विभागीय आदेश की अवहेलना करने के आरोप में इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय ***जाँच पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य में आरोप संख्या–1 एवं आरोप संख्या–2 प्रमाणित होते हैं।***

विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री रामाशीष राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), कार्य प्रमण्डल, गोड्डा सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए ***पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के तहत उनके पेंशन से 15% की राशि अगले 10 वर्षों के लिए कटौती का दण्ड अधिरोपित करते हुए श्री राम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है।***

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(प्रिसिल्ला मुर्मू)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः— निग / सारा(पथ)—15—वि0का0—05—58/2019 2759(5) / रांची, दिनांकः— 29/06/2026

प्रतिलिपि :— अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची / विभागीय ई—गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/06/2026

सरकार के संयुक्त सचिव।

29/6/26